अध्याय- 25

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

25.1 केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्य समूह, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परामर्श प्रक्रिया में सहायता करता है। कार्य समूह की अंतिम बैठक नई दिल्ली में दिनांक 24 जून, 2002 को हुई थी। कार्य समूह की एक विशेष बैठक भी नई दिल्ली में दिनांक 08.04.2003 को आयोजित की गई थी। कार्य समूह ने रोजगार सेवा को और अधिक सक्रिय एवं बदलते हुए बाजार परिदृश्य में श्रम बाजार सूचना प्रणाली को आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने हेतु अनेक सिफारिशें कीं। इसने देश में निजी नियोजन एजेंसियों के कार्यकरण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों हेतु अपनी सिफारिशें कीं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा की मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम के अतिरिक्त समस्त राज्य एवं संघ शासित प्रदेश आते हैं
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के पास है।
- इसका 947 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यों के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालयों से 13 सांख्यकीय विवरणियों द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन इत्यादि जैसे विशिष्ट कार्य शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 तथा उसके तहत् बनाए गए नियमों के तहत् निर्धारित ई.आर.-I तथा ई.आर-II विवरणियों में रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढांचा इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र(समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर-कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959

25.2 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के तहत् रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.-I और ई.आर-II) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर-कृषि कार्यकलापों में रत 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम को लागू करना राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है। अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने इस प्रयोजन के लिए विशेष इंफोर्समेंट मशीनरी भी स्थापित की है।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य-निष्पादन

25.3 31.08.2005 की स्थिति के अनुसार 947 रोजगार कार्यालयों का ब्यौरा तालिका 25.1 में दिया गया है। पंजीकरण, रोजगार चाहने वालों को नियोजन, आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना रोजगार कार्यलयों की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

25.4 वर्ष 2005 (जनवरी-अगस्त) के दौरान पंजीकरण एवं नियोजन से संबंधित किया गया कार्य तालिका 25.2 में दिया गया है।

25.5 पंजीकरण एवं नियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- **31 अ ै ास्त, 2005 \ ो रोज ै ार \ ी प्रती ॅ ा \ र रहे रोज ै ार चाहो वालों \ ी अधि \ तम सं ? या (71.9 ला ? ा) पश्चिम बं ै ाल में थी, जबकि\ इा \ ी यूातम सं ? या (0.06 ला ? ा) दादर एवं ा ै ार हवेली में थी।**
- **•ावरी -अ ै ास्त, 2005 \` मध्य ै ुजरात में ायोजा अधि \ तम (49.7 हजार) था, जबकि महाराष्ट्र में पंजीकरण अधिकतम (559.5 हजार) था।**
- **ायोजा, रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए ाामों क ा 6.6% था।**
- **कुल रोजगार चाहो वालों में से 26.9% महिलाएं थीं।**
- **2000 से 2005 की अवधि के लिए वर्ष-वार पंजीकरण, ायोजा, अधिसूचित की गई रिक्तियां, भेजे गए ाामों तथा चालू रजिस्टर संबंधी ब्यौरा तालिका 25.3 में दिया गया है :-**

केंद्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

25.6 केंद्रीय रोजगार \ ार्यालय, दिल्ली \`द्र सर \ ार \` प्रतिष्ठाों में 5000/- रू. प्रतिमाह तथा उससे अधि \ वेतामाा \ ी वैज्ञाि \ एवं त \ ाी \ ी प्र \ ार \ ी रिक्तियों \ ो परिचालित \ रो एवं उा \ ा विज्ञापा \ रो हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2005-2006 (अक्तूबर 2005 त \ ) \` दौराा 19 विज्ञापा \` माध्यम से \ ुल 464 रिक्तियों अधिसूचित \ ी ै ई जब कि\ 68 सर \ ारी \ ार्यालयों ो इा \ ी सेवाओं \ ा उपयो ै ा कि\ या। इामें से आसूचित जाति, आसूचित जाजाति, अय पिछड़ा व ै ी व वि \ ला ै ों तथा भूतपूर्व सैाि \ ों हेतु \ मशः 80, 66, 1043 एवं 11 रिक्तियां अधिसूचित \ ी ै ई।

रोज ै ार बाजार सूचाा (ई.ए.आई.) \ ार्य \ म

\ ार्य ॅ ोत्र, विस्तार एवं सीमाएं

25.7 सं ै ाठित ॅ ोत्र में रोज ै ार आं \ ड़े रोज ै ार बाजार सूचाा \ ार्य \ म \` अंत ै ित ए\ त्रित कि\ ए जाते हैं। प्रारंभ में इाहें स्वैच्छि \ रूप से ए\ त्रित \ रो \` सावधि \ प्रावधाा \ ा आधार रोज ै ार \ ार्यालय (रिक्तियों \ ी अाविार्य अधिसूचाा) अधिायम 1959 व इस \` अंत ै ित बााए ै ए ायमों द्वारा कि\ या ै या था। रोज ै ार बाजार सूचाा \ ार्य \ म \ ा विस्तार अब दादर व ा ै ार हवेली तथा ल ॅ द्वीप \` अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में \ र दिया ै या है। सार्वजाि \ ॅ ोत्र \` सभी प्रतिष्ठाों और ाजी ॅ ोत्र \` 25 या उससे अधि \ \ ाम ै ारों वाले ै ैर-\ ृषीय प्रतिष्ठाों \` लिए यह \ ार्य \ म ला ै ू है। 10 से 24 \ ाम ै ारों वाले प्रतिष्ठाों \` स्वैच्छि \ आधार पर शामिल कि\ या जाता है।

25.8 तथापि, रोज ै ार बाजार सूचाा \ ार्य \ म \ ृषीय प्रतिष्ठाों (पौधारोप ? ा तथा \ ृषि मशीाी उप \ र ? ा \` अतिरिक्त), स्व-रोज ै ार में व स्वतत्र \ ाम ै ारों, अंश \ ालि \ \ ाम ै ारों, र ॅ ा बलों, विदेश में भारतीय मिशाों, मुम्बई व \ ोल \ ाता महा-ा ै रों में 25 या इससे \ म \ ाम ै ारों वाले प्रतिष्ठाों तथा अति लघु प्रतिष्ठाों (10 से \ म \ ाम ै ारों वाले) सांविधि \ रूप से रोज ै ार हेतु शामिल ाहीं कि\ या ै या है। रोज ै ार \ ार्यालय (रिक्तियों \ ी अाविार्य अधिसूचाा) अधिायम, 1959 \` आसार ायोक्ताओं \` लिए रोज ै ार विवर ? ाी (ई आर-I) तथा व्यावसायि \ विवर ? ाी (ई आर-II) \ मशः तैमासि \ तथा द्विवार्षि \ भेजाा अाविार्य है । 31 मार्च, 30 जूा, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर \ ो प्रतिवर्ष त्रैमासि \ आधार पर प्राप्त होो वाली रोज ै ार विवरकि? ायों से रोज ै ार \ ा पता चलता है जबकि\ 30 सितम्बर \` अंत में प्रति वै \ ल्पि \ वर्ष \` व्यावसायि \ विवरकि? ायाँ सार्वजाि \ व ाजी ॅ ोत्र \` प्रतिष्ठाों से ए\ त्रित \ ी जाती हैं। दिसम्बर, 2003 \ ो समाप्त होो वाली तिमाही \` त्वरित आमाा, मार्च 2003 \ ो समाप्त तिमाही \ ी रोज ै ार समी ॅ ाा तथा वर्ष 1999 \` लिए वार्षि \ रोज ै ार समी ॅ ाा पहले ही प्र \ ाशित कि\ ए जा चु \` हैं तथा इस \ ा वर्ष 2001 \ ा प्र \ ाशा प्रकि\ याधी है।

व्यावसायि \ एवं शैॅ ा \ पद्धति अध्ययाा

- **†ध्ययाा \` माध्यम से सं ै ाठित ॅ ोत्र \` \ र्मचारियों \ ी व्यावसायि \ एवं शैॅ ा \ रूपरे ? ाा प्रस्तुत \ रो \ ा प्रयास कि\ या जाता है।**
- **रोज ै ार बाजार सूचाा (ई.एम.आई.) \ ार्य \ म \` तहत दो वर्षों \` अंतराल पर रोज ै ार \ ार्यालय अधिायम (सीएावी) 1959 \` तहत ि-**

ाधारित ई.आर.विवर ्री-II में सार्वजाि \ एवं ाजी र्‍ोत्र प्रतिष्ठाों से ए\ ांतर वर्षों में आं \ ड़े ए\ त्र ि\ ए जाते हैं।

- उद्यो ौं तथा सार्वजाि \ र्‍ोत्र की शाखाओं एवं ि-ाजी क्षेत्र के प्रतिष्ठाों के आकार द्वारा वर्गीकृत संगठित क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचा एवं स्तरों को भारत में व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढाँचा ाा मक रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाता है ।

केद्र सरकार के फालतू/छंटाी किए गए कर्मचारियों की पुाः ाियुक्ति

25.9 सरकार के दिाांक 10.01.2002 के आदेश संख्या 20011/1/2002-आ.का.अ.ए. द्वारा लिए गए ाािर्णयाासार रोजगार एवं प्राशिक्षण महाा-दिेशालय, श्रम और रोज ाार मंत्रालय में समूह घ्घड \ र्मचारियों हेतु अधिशेष सैल \ ो ए\ ही मंत्रालय \` प्रभार तले अधिशेष \ र्मचारियों \ ी सभी श्रे्ियों \` पुाःाियोया से संबंधित \ ार्य \ ो र ो \` महदेाजर, \ ार्मि \ व प्रशि र्‍ा्ा विभा ा \` अधिशेष सैल \ ो हस्तांतरित \ र दिया ाया। \ ार्मि \ व प्रशि र्‍ा्ा विभा ा \` इस प्रभा ा \ ो च्युाः प्रशि र्‍ा्ा व पुाः ाियोजाछ में पदाामित ि\ या ाया है।

रोज ाार \ ार्यालयों \ ा मूल्यां \ ा

25.10 रोज ाार \ ार्यालय विश्वविद्यालय रोज ाार सूचाा एवं मा ार्दशा ब्यूरो \` संयुक्त त \ ाि \ ी मूल्यां \ ा \ ार्य \ म देश में सम्बद्ध राज्य सर \ ारों तथा संघशासित प्रशासों द्वारा यह सुािश्चित \ रो \` लिए ि\ या जाता है ि\ :-

- स्वी \ृ त ाीतियों तथा प्रि\ याओं \ ा आुपाला हो।
- माा \ ों \ ा प्रतिपादा एवं \ ार्य \ मों \ ा ि\ या-वया हो।
- रोज ाार \ ार्यालयों द्वारा प्रदाा \ ी जाो वाली सेवाओं \ ो अधि \ प्रभावी बााया जाए।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों \` बीच प्रभावी समवय र ा जाए।
- ाा सेवाओं में सुधार \ रो \` लिए आवश्य \ उपाय सुझाए जाो \` लिए।
- वर्ष 2005-2006 में 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों \` मूल्यां \ ा \ ा प्रस्ताव ि\ या ाया तथा ल र्‍यों \ ी प्राप्ति \ ी सम्भावाा है।
- राज्य रोज ाार ािदेशालय से प्राप्त मूल्यांका रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर आुवर्ती कार्रवाई कराा।

व्यावसायिक मार्गदर्शा एवं रोजगार परामर्श

रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शा एकक तथा विश्वविद्यालय रोज ाार सूचाा एवं मा ार्दशा ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.):-

- रोज ाार \ ार्यालयों/विश्वविद्यालय परिसरों में \ ार्य \ रते हैं तथा रोज ाार चाहो वालों \ ो व्यावसायि \ मा ार्दशा एवं रोज ाार संबंधी परा मर्शदायी सेवाएं उपलब्ध \ राते हैं।
- ाजीवि \ ा वार्ताओं, ए\ ल परामर्श सत्रों, सा मूहि \ विचार-विमर्श, आजीवि \ ा प्रदर्शाियों तथा फिल्म-प्रदर्शा आदि \` माध्यम से विद्यार्थियों, अध्याप \ ों, अभिभाव \ ों तथा रोज ाार चाहो वालों \ ो (व्यक्ति ात एवं सामूहि \ दोाों) रूपों में प्रचारित \ रो हेतु व्यावसायि \ सूचाा \ ा ए\ त्र्ा व सं \ ला।
- ाैद्योि ा \ प्रशि र्‍ा्ा संस्थााों में व्यावसायि \ प्रशि र्‍ा्ा एवं शि र्‍ाुता प्रशि र्‍ा्ा सहित देश \` भीतर एवं विदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रशि र्‍ा्ा सुविधाओं \` संबंध में विद्यार्थियों \ ो सूचाा देाा।
- रिपोर्टाधीा वर्ष के दौराा, रोजगार कार्यालयों में 386 व्यावसायिक मार्गदर्शा केद्रों तथा 82 विश्वविद्यालय सूचाा एवं मार्गदर्शा ब्यूरो यू.ई.आई.जी.बी.एक्स. ो रोजगार चाहो वालों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों \ ो आवश्य \ मा ार्दशा एवं सूचाा उपलब्ध \ राो \` उद्देश्य से \ ार्य \ राा जारी र ाा।

ाभिरूचि परी र्‍ा्ा

- ाभिरूचि परी र्‍ा्ा \ ार्य \ म \ ा उद्देश्य व्यावसायि \ मा ार्दशा एवं व्यावसाय चया प्रि\ या \ ो बढ़ावा दो हेतु माोवैज्ञाि \

परी ƒ ा ⁄ ाों ^ ो वि ^ सित ^ रना एवं उन ^ ा प्रयो ऽ ा ^ रना है।

- व्यावसाय चयन ^` लिए अभिरूचि परी ƒ ा ⁄ ा ^ ार्य ^ म 60वें दश ^ में प्रारंभ ि^ या ऽ या।
- ⁄जीईटी के वर्तमान प्रयासों का संकेद्रण लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर है। रोजगार कार्यालयों के रोजगार चाहने वालों, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मंत्र ⁄ ा ^` द्रों में आने वाले विद्यार्थियों, अध्यापा-सह-मा ऽ दर्शा ^` द्रों व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ^` प्रशि ƒ ाुओं, वि ^ लां ऽ ा एवं सामाजि ^ स्तर पर अभाव ऽ्रस्त व्यक्तियों ^` भर्ती पूर्व प्रशि ƒ ा ⁄ ा ^ ार्य ^ म ^` अंत ऽ ात उन ^ ा व्यावसायि ^ चयन एवं उचित व्यवसाय मा ऽ दर्शा सेवाओं ^ ो आवश्य ^ समर्था मिलने ^ ी संभावना है।

स्व-रोज ऽ ार संवर्धा

- वैतनि ^ रोज ऽ ारों ^ ी सामाय ^ मी ^` ^ ार ⁄ ा स्व-रोज ऽ ार संवर्धा ^ ार्य ^ म आरंभ ि^ या ऽ या।
- बेरोज ऽ ार युवाओं ^ ो स्व-रोज ऽ ार हेतु प्रेरित ^ रने ^` लिए रोज ऽ ार ^ ार्यालयों ^ ो इस ƒ ेत्र में महत्वपू ⁄ ी भूमि ^ ा सौंपी ऽ ई है।
- देश ^` 28 चुनिंदा रोज ऽ ार कार्यालयों में स्व-रोजगार संवर्धन सैल स्थापित ि^ ए ऽ ए। इन में से 22 स्व-रोजगार संवर्धन सैल (एस.ई.पी.सी.) स्व रोज ऽ ार संवर्धा हेतु रोज ऽ ार चाहने वालों ^ ो विशेष सहायता प्रदान ^ र रहे हैं।
- •ान 2005 के अंत तक 80,331 व्यक्तियों को विभिन्न स्व रोजगार उद्यमों में स्व रोजगार संवर्धा प्रकोष्ठों की सहायता से नियोजित किया गया तथा इन प्रकोष्ठों के चालू रजिस्टर पर रोजगार सहायता चाहने वाले व्यक्तियों ^ ी सं ¯ या 2,04,435 थी।

†ां ^ ड़ों ^ ा प्र ^ ाशन

25.11 रोज ऽ ार एवं प्रशि ƒ ा ⁄ ा महानिदेशालय द्वारा जारी प्र ^ ाशनों ^ ा ब्यौरा बॉक्स 25.1 में दिया ऽ या है।

बॉक्स 25.1

1.	रोज ऽ ार ^ ार्यालय सांि¯ य ^ ी
	यह रोज ऽ ार एवं प्रशि ƒ ा ⁄ ा महानिदेशालय ^ ा वार्षि ^ प्र ^ ाशन है। इसमें आं ^ ड़ो ^` विस्तृत विश्लेष ⁄ ा सहित सम्पू ⁄ र् रोज ऽ ार ^ ार्यालय सांि¯ य ^ ी ^ ो प्रस्तुत ि^ या ऽ या है।
2.	रोज ऽ ार ^` त्वरित अनुमान
	यह सं ऽ ठित ƒ ेत्र में, रोज ऽ ार ^` त्रैमासि ^ त्वरित अनुमानों ^ ो दर्शाता है।
3.	त्रैमासि ^ रोज ऽ ार समी ƒ ा
	यह सं ऽ ठित ƒ ेत्र में तिमाही आधार पर प्रमु ¯ ा उद्यो ऽ वार रोज ऽ ार स्थिति ^ ो दर्शाता है ।
4.	म्ह्यह्यस्ह्यE ञ्ह्युVह्यMह्यह्यः स्ह्यद्धह्यIह्य
	यह ई.एम.आई. आं ^ ड़ों पर आधारित ए^ वार्षि ^ प्र ^ ाशन है । यह उद्यो ऽ ा ^` तीन अं ^ स्तर त ^ ^` विस्तृत आं ^ ड़ो ^ ो दर्शाता है तथा सं ऽ ठित ƒ ेत्र में व्याप्त रोज ऽ ार स्थिति ^ ा सम्पू ⁄ र् विश्लेश ⁄ ा प्रस्तुत ^ रता है ।
5.	भारत में ^ र्मचारियों ^ ा व्यावसायि ^ -शैƒि ा ^ ढांचा
	यह ए^ वार्षि ^ प्र ^ ाशन है जो सं ऽ ठित ƒ ेत्र ^` सार्वजनि ^ एवं निजी ƒ ेत्र ^` ^ र्मचारियों ^ ी रूपरे ¯ ा प्रस्तुत ^ रता है । सार्वजनि ^ एवं निजी ƒ ेत्रों ^ ो ए^ ांतर वर्ष में शामिल ि^ या जाता है।
6.	शि ƒ ुता प्रशि ƒ ा ⁄ ा योजना ^` तहत् भारत में व्यवसाय शि ƒ ुता प्रशि ƒ ा ⁄ ा
	यह रोज ऽ ार एवं प्रशि ƒ ा ⁄ ा महानिदेशालय ^` सर्वे ƒ ा ⁄ ा एवं अध्ययन प्रभा ऽ ा द्वारा प्र ^ ाशित ि^ या जाने वाला ए^ वार्षि ^ प्र ^ ाशन है। प्र ^ ाशन में शि ƒ ुता प्रशि ƒ ा ⁄ ा में ^ ार्यरत प्रतिष्ठानों ^` शि ƒ ुओं ^ ो

	कार्य पर रखने की क्षमता, परिणामों तथा श्रम बाजार में उनकी नियोजनीयता के साथ-साथ वर्तमान परिदृश्य के संक्षिप्त विश्लेषण संबंधी आंकड़ों को दर्शाता है। "भारत में व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण" नामक प्रकाशन 31.03.2002 को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे संदर्भावधि के दौरान जारी किया गया तथा 31.03.2003 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	**केद्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना**
	यह देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह जनगणना देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती है । 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं तथा प्रक्रियाधीन है।
8.	**केंद्रीय नियोक्ता रजिस्टर**
	31.03.2001 को केद्रीय नियोक्ता रजिस्टर तैयार करने के लिए नए पहल की गई। इससे देशभर के केद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों के संबंध में सुगमतापूर्वक सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
9.	**भारत में रोजगार के अवसरों पर बुलेटिन**
	यह इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधि, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अध्यापन इत्यादि विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को दर्शाता है। वर्ष 2000 हेतु रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया गया है। "भारत में रोजगार अवसरों पर बुलेटिन" संबंधी आंकड़े संकलन की अवस्था में है।

तालि^ा 25.1

ामिलरि ात सहित (अ ास्त, 2005 ^` अंत त ^) रोज ार ^ ार्यालयों ^ ी ^ु ल सं या	**947**
➢ **विश्वविद्यालय रोज ार सूचाा एवं मा दिर्शा ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.)**	**82**
➢ **व्यावसायि^ एवं ^ ार्य^ ारी रोज ार ^ ार्यालय**	**15**
➢ **शारीरि^ रूप से वि^ लां ों^` लिए विशेष रोज ार ^ ार्यालय**	**43**
➢ **बा ाा श्रमि^ ों^` लिए विशेष रोज ार ^ ार्यालय**	**01**

तालिका 25.2

***31.08.2005 को चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहो वालों की संख्या (लाख में)**	
पुरूष	**291.07**
महिला	**107.08**
कुल	**398.15**
***वर्ष 2005 (जावरी-अगस्त) के दौराा ायोजित रोजगार चाहो वालों की संख्या**	
पुरूष	**0.57**
महिला	**0.45**
कुल	**1.02**
***वर्ष 2005 (जावरी-अगस्त) के दौराा पंजीकृत रोजगार चाहो वालों की संख्या**	
पुरूष	**29.14**
महिला	**9.93**
कुल	**39.07**

तालिका 25.3

(हजार में)

वर्ष	**रोजगार क ार्यालय, यू. ई. आई. जी. बी. एक्स.**	**पंजीकरण**	**ायोजा**	**†धिसूचित रिक्तियां**	**प्रस्तुत किए**	**"ाालू रजिस्टर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2000	**958**	**6041.9**	**177.7**	**284.5**	**2322.8**	**41343.6**
2001	**938**	**5552.6**	**169.2**	**304.1**	**1908.8**	**41995.9**
2002	**939**	**5064.0**	**142.6**	**220.3**	**1748.8**	**41171.2**
2003	**945**	**5462.9**	**154.9**	**256.1**	**1917.3**	**41388.7**
2004	**947**	**5373.0**	**137.7**	**274.61**	**1801.4**	**40457.6**
2005 (जावरी-अगस्त)	**947**	**3906.9**	**102.3**	**207.8**	**1556.6**	**39815.0**

******